संख्या: 27/ 2022/ 681/ सत्रह-म-2022-001- 17-1099/ 1174/ 2019

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 14 जुलाई ,2022

विषय:प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 8.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 255/ नि0शा0/2022-23 दिनांक 28 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक बीमा योजना हेतु 27,609 मत्स्य पालकों को आच्छादित किये जाने हेतु राज्यांश के रूप रू0 28.976 प्रति की दर से कुल रू0 7,99,998.38 अर्थात रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 (केन्द्रांश: राज्यांश) के वित्त पोषण के अनुपात में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सक्रिय मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसायियों को दुर्घटना बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में कुल रू0 5.00 लाख तथा पूर्ण रूप से अस्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 2.50 लाख के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 8.00 लाख की (रू0 आठ लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त/आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8905-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक बीमा योजना, 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- **E-1-72-X-2022-23** दिनांक 14.07.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 27/ 2022/ 681(1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर सचिव,भारत सरकार कृषि मंत्रालय,पशुधन,डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
3- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एन0एफ0डी0बी0) हैदराबाद।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।